



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 18647 वर्ष 2025

शाहिर अहमद खान

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अनिल कुमार, बख्तेयार यूसुफ

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बख्तेयार यूसुफ के संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए ए.ओ.आर. संख्या ए/ए1288/23 श्री अरश अहमद फारूकी तथा राज्य के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार मिश्रा को सुना।
2. याचिकाकर्ता की यह शिकायत है कि वह क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद पर कार्यरत है तथा उसका स्थानांतरण दिनांक 14.06.2025 को पीलीभीत से महाराजगंज कर दिया गया है। तथापि, वह जनपद पीलीभीत में ही स्थित रहने की प्रार्थना करता है, क्योंकि उसकी एक पुत्री कक्षा XII में, दूसरी कक्षा-VII में तथा तीसरी कक्षा VI में अध्ययनरत है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 31.03.2026 तक याचिकाकर्ता के परिवार को प्रश्नगत आवास से विस्थापित न किया जाए।
3. इसके विपरीत, विद्वान स्थायी अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता के दावा का विचारण प्रथम दृष्टया प्रत्यर्थी संख्या 4, प्रभागीय वन अधिकारी, पीलीभीत बाघ अभयारण्य, पीलीभीत द्वारा किया जाना अपेक्षित है।
4. बार के समक्ष किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका इस निर्देश के साथ **निस्तारित** की जाती है कि याचिकाकर्ता दिनांक 30.01.2026 तक प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष रिट अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिका की स्वप्रमाणित प्रति तथा आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक सम्यक अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा, जो उक्त पर प्रत्यर्थी द्वारा कार्यवाही करते हुए याचिकाकर्ता के दावा का निर्णय दिनांक 28.02.2026 तक करेगा।

दिनांक 16 जनवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।